सत्यमेव जयते
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

आजीविका AAJEEVIKA

प्रसव पूर्व देखभाल

एसएचजी बैठकों के लिए फैसिलिटेटर गाइड

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन (डी ऐ वाई -एनआरएलएम)

ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार

प्रिय फैसिलिटेटर

प्रसवपूर्व देखभाल पर यह फेसिलिटेटर गाइड, फ्लिपबुक को प्रचारित करने और एसएचजी समूहों और अन्य सामुदायिक कैडर के बीच प्रमुख संदेशों को प्रसारित करने में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के अंतर्गत सभी फेसिलिटेटर की मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह सत्र खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता (एफएनएचडब्ल्यू) पर एक प्रशिक्षण पैकेज का हिस्सा है जिसमें फ्लिप बुक, फैसिलिटेटर गाइड, पोस्टर, परामर्श कार्ड और स्टिकर एवं अन्य सामग्री शामिल हैं।

प्रसवपूर्व देखभाल विषय पर प्रशिक्षण करने का मुख्य लक्ष्य एस.आर.एल.एम. कर्मचारियों, संगठकों और समुदाय को बड़े पैमाने पर जानकारी देने के साथ-साथ सशक्त बनाना है ताकि प्रसवपूर्व देखभाल के समय स्वास्थ्य और पोषण व्यवहारों में सुधार किया जा सके। यह जानकारी बेहतर व्यवहार और प्रथाओं को अपनाने में मदद कर सकती है जिससे गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। हम सभी जानते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य और पोषण से उत्पादकता बढ़ती है, जो गरीबी को कम करती है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है।

यह प्रशिक्षण पैकेज एस.एच.जी. महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो कि पूरे परिवार के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी होगी। फ्लिपबुक के माध्यम से प्रत्येक सत्र के तहत प्रदान की गई जानकारी परिवार के लिए सामूहिक शिक्षा प्रदान करेगी, परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संदेश रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग किए जा रहे हैं। इन व्यवहारों को आत्मसात करने की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की नहीं है, परिवार में पुरुषों/पति/बड़े लड़कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफएनएचडब्ल्यू में इन प्रथाओं को लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है।

उद्देश्य

मॉड्यूल को पढ़ने एवं समझने के बाद फेसिलिटेटर यह बताने में सक्षम होगी:

- गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण के महत्व, प्रसव पूर्व देखभाल के महत्व और प्रसव पूर्व/जन्म की तैयारी के बारे में।
- मां और नवजात दोनों के लिए प्रसवोत्तर समय के दौरान देखभाल के महत्व की व्याख्या कर पाने में।

सत्र प्रारंभ

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सत्र में आप प्रतिभागियों को नकारात्मक सांस्कृतिक वर्जनाओं और मिथकों को कायम रखने की अनुमति न दें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिभागी सुरक्षित प्रसव की तैयारी में याद रखने वाले बिंदुओं के साथ-साथ प्रसव पूर्व जांच की आवश्यकता और महत्व को सही तरह से समझ पाएं।

मातृ-संबंधी (मृत्यु दर)-मातृ संबंधी मृत्यु को गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के बाद पहले 42 दिनों के भीतर होने वाली गर्भवती महिला की मृत्यु के रूप में परिभाषित किया गया है। पूरे विश्व में महिलाओं के मातृ मृत्यु के पांच मुख्य चिकित्सिय कारणों को शामिल किया गया है ये हैं-रक्तस्राव, घाव का सड़ना, उच्च रक्तचाप से ग्रस्त विकार, बाधित प्रसव, असुरक्षित गर्भपात।

इन कारणों से होने वाली मातृ मृत्यु को रोकने के लिए, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान आवश्यक देखभाल प्रदान करना सर्वोपरि है।

केस स्टडी

अनीता पांच महीने की गर्भवती है वह किसी स्वयं सहायता समूह/सामाजिक समूह का सदस्य नहीं है। उसके गर्भवती होने के बाद से, उसका पति उसकी देखभाल करने लगा और बाजार से उसके लिए आहार विविधता खाध पदार्थ लाने लगा तथा घर के कुछ कामों में अनीता को सहयोग करने लगा है| अनीता की अभी तक पहली प्रसवपूर्व जांच नहीं हुई है, जिसका मुख्या कारण यह है कि उसके पति उसे घर से बाहर जाने से मना कर देते हैं। अनीता की गर्भावस्था के बारे में जानने के बाद ए.एन.एम./आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गर्भावस्था के बारे में कोई भी विवरण देने से इनकार कर दिया। अनीता और उसके पति दोनों को लगता है कि अनीता सही कर रही है और पूरी गर्भावस्था के दौरान वह सब कुछ बिना किसी से सलाह लिए करेगी।

निम्नलिखित प्रश्नो के उत्तर दें:

- आप क्या सोचते हैं, क्या अनीता को पर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल दी जा रही है?
- गर्भवती पत्नी की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए आप उसके पति को क्या सुझाव देंगे?
- ए.एन.एम./आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की यहां क्या भूमिका हो सकती है?

नोट: प्रतिभागियों को यहां कोई जवाब न दें, बस सुनें कि उन्हें क्या कहना है?

चरण 1:

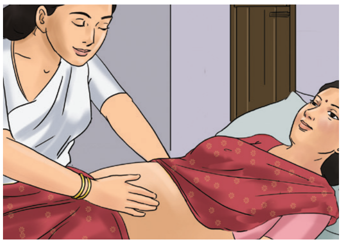

नीचे दिए गए प्रसवपूर्व देखभाल के महत्वपूर्ण व्यवहारों पर चर्चा के साथ सत्र की शुरुआत करें। जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जानी है, उन्हें समूह को बताएं और चर्चा की शुरुआत करें।

- गर्भावस्था का पंजीकरण
- प्रसव पूर्व जांच
- प्रसव की तैयारी

चरण 2:

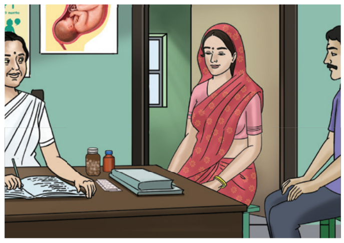

सभी प्रतिभागियों को गर्भावस्था के पंजीकरण पर अपनी समझ साझा करने के लिए कहें और इस तथ्य पर चर्चा करें कि ज्यादातर महिलाएं समय पर पंजीकरण नहीं कराती हैं और आमतौर पर पहली तिमाही समाप्त होने तक गर्भावस्था के बारे में दूसरों को पता नहीं चलता है। समूह को सूचित करें कि गर्भावस्था की पुष्टि होते ही पंजीकरण किया जाना चाहिए ताकि सेवाओं का समय पर लाभ उठाया जा सके।

गर्भावस्था का पंजीकरण

- गर्भधारण की पुष्टि होने पर आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर ए.एन.एम. से अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण कराएं। ए.एन.एम. गर्भवती महिला का नाम रजिस्टर में लिखेंगी और मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन (एम.सी.पी.) कार्ड/जच्चा और बच्चा सुरक्षा कार्ड नि:शुल्क गर्भवती महिला को देंगी। एमसीपी कार्ड में गर्भावस्था, प्रसव, दो वर्ष तक की विशेष शिशु देखभाल और टीकाकरण से संबंधित सभी जानकारी दर्ज की जाती है।
- एमसीपी कार्ड सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए और प्रत्येक जांच के दौरान लाया जाना चाहिए।

चरण 3:

जच्चा और बच्चा सुरक्षा कार्ड के फायदों पर समझ साझा करने के लिए प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें और अगर संभव हो तो लिख कर मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करें।

मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड के फायदे

- मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड में गर्भवती महिलाओं का पंजीकृत नाम होता है और उसके अजन्मे बच्चों के 5 साल का होने तक किए गए परीक्षण और टीकाकरण के संबंध में सभी जानकारी होती है। गर्भवती महिला के खतरों के लक्षणों सहित आवश्यक जानकारी उस कार्ड में दर्ज की जाती है।
- खतरे के लक्षणों के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, यदि कोई हो या गर्भावस्था से संबंधित अन्य समस्याएं भी कार्ड पर नोट की जाती हैं।
- इसी तरह बच्चे के विकास की आवश्यक जानकारी भी इस कार्ड में दर्ज होती है।
- ध्यान दें कि आपके या आपके बच्चे की जांच या टीकाकरण के बाद हर बार कार्ड पर जानकारी दर्ज की गई हो।

यह सारी जानकारी जब कार्ड में समय पर और पूरी तरह से दर्ज की जाती है तो किसी भी व्यक्ति को मां और बच्चे की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में विवरण प्रदान किया जा सकता है।

चरण 4:

सभी प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें कि वे गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच/ANC कराने के लाभों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या उन्होंने गर्भावस्था के दौरान ये चेकअप करवाए हैं। समूह से यह भी पूछें कि क्या उन्हें इस एएनसी को करने के लिए परिवार या अन्य लोगों से किसी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।

4 प्रसव पूर्व जांच के बारे में

गर्भावस्था की पहचान से लेकर प्रसव तक हर गर्भवती महिला को कम से कम 4 बार जांच कराने की सलाह दी जाती है।

- **पहली जांच:** गर्भावस्था का पता चलने के तुरंत बाद तीन माह के भीतर गर्भवती महिला का नाम रजिस्टर में पंजीकरण दर्ज कर पहली जांच की जाती है।
- **दूसरी जांच:** दूसरा चेक-अप चौथे से छठे महीने के बीच होना चाहिए।
- **तीसरी जांच:** तीसरा चेक-अप 7 वें से 8वें महीने के बीच होना चाहिए।
- **चौथी जांच:** गर्भवती महिलाओं के लिए 9वें महीने की जांच बहुत ही अनिवार्य है।

नियमित प्रसव पूर्व जांच गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षणों की पहचान करने में सहायक होती है, जिससे किसी भी सम्भावित खतरों से बचने के लिए समय पर उपाय किये जा सकते हैं। खतरे के लक्षण निम्न हैं:

- योनि से अत्यधिक खून बहना।
- गर्भ में बच्चे का हिलना-डुलना बंद हो जाना।
- ऐंठन/दौरे पड़ना।
- खून की कमी होना।

गर्भवती महिला को पिछली गर्भावस्था के दौरान उपरोक्त में से किसी भी खतरे के लक्षण का सामना करना पडा हो तो उसे इस बार अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और चिकित्सक से अवश्य ही मिलना चाहिए।

याद रखने वाली बातें

- स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण के दिनों में आंगनवाड़ी केंद्र में (वी.एच.एस.एन.डी) में प्रसवपूर्व सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
- नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं।
- इन जांचों के लिए पतियों को अपनी पत्नियों के साथ जाना चाहिए और परामर्श में भाग लेना चाहिए।

चरण 5:

- प्रसव पूर्व जांच के दौरान मिलने वाली सेवाओं के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी पर समझ साझा करने के लिए प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें।

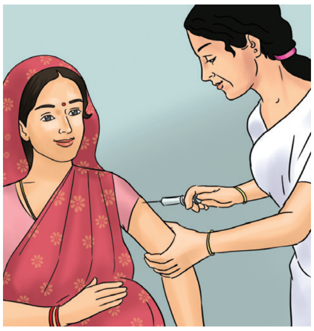

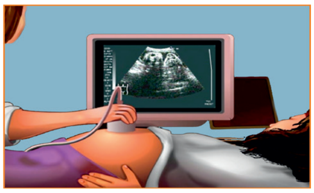

प्रसव पूर्व जांच के दौरान प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाएं

- **शारीरिक परीक्षण:** पेट, आंख, जीभ, नाखून, दांत और पैरों की जांच की जाती है।
- हर बार **ब्लड प्रेशर** की जांच की जाती है। गर्भवती महिलाओं को अपने रक्तचाप के साथ-साथ **रक्त शर्करा** के स्तर के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। इनमें से किसी एक या दोनों का स्तर बढ़ने से जटिलताएं हो सकती हैं।
- **वजन:** हर जांच के दौरान गर्भवती महिला का वजन लिया जाता है। यह सलाह दी जाती है कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कम से कम 10 से 12 किलोग्राम वजन बढ़ाना चाहिए।
- **टी.टी. टीके:** गर्भावस्था के दौरान टी.टी. की दो खुराक दी जाती है। पहली तब होती है जब गर्भावस्था का पता चलता है और दूसरी खुराक पहली खुराक के एक महीने बाद दी जाती है।
- **रक्त और मूत्र परीक्षण** किए जाते हैं, ताकि गर्भावस्था के खतरे के लक्षण यदि कोई हों तो उसे सही समय पर पता लगाया जा सके।
- गर्भावस्था के 18 से 19 सप्ताह के बीच एक बार **अल्ट्रासाउंड** करवाना चाहिए।
- **आई.एफ.ए और कैल्शियम:** गर्भावस्था के चौथे महीने से गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान आयरन की 180 गोलियां और कैल्शियम की 360 गोलियां लेनी चाहिए।
- **डी-वर्मिंग:** गर्भवती महिला को कृमि मुक्ति के लिए दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की एक गोली लेनी चाहिए।
- **आहार पर परामर्श:** एक गर्भवती महिला को दिन में कम से कम एक अतिरिक्त भोजन करना चाहिए और आहार विविधता को बनाए रखना चाहिए। अपने रोज के भोजन में 10 में से कम से कम 5 खाद्य समूहों को शामिल करना चाहिए।

चरण 6:

स्वस्थ मां और बच्चे के लिए प्रसवपूर्व जांच के महत्वपूर्ण फायदों पर समझ साझा करने के लिए सभी प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें और मुख्य बिंदुओं को प्रस्तुत करें।

प्रसव पूर्व जांच के फायदे:

- शारीरिक जांच से मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के बारे में समय पर जानकारी मिलती है।

- ब्लड प्रेशर (बीपी) की जांच की जाती है, जिससे दौरे आदि जैसे खतरों का सही समय पर पता लगाया जा सके।
- गर्भवती महिला का उचित वजन बढ़ना बच्चे के पर्याप्त विकास को दर्शाता है, मां का उतना वजन नहीं बढ़ने के कारण बच्चा कमजोर एवं कम वजन का पैदा हो सकता है।
- टीटी का टीका मां और बच्चे दोनों को टिटनेस होने के जोखिम से बचाता है।
- अनुशंसित मात्रा में आइएफ़ए और कैल्शियम लेने से भ्रूण के मस्तिष्क के विकास में मदद मिलती है और गर्भवती महिला में एनीमिया और प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं का खतरा कम होता है।
- गर्भावस्था के दौरान सही मात्रा में पौष्टिक भोजन का सेवन करने से मां और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

चरण 7:

सभी प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें कि प्रसव की तैयारी करते समय उन्हें क्या ध्यान रखना महत्वपूर्ण है और उन्हें यह सूचित करें कि प्रसव के लिए कुछ तैयारी करना आवश्यक है ताकि आखिर में जल्दबाजी ना हो और कोई आपातकालीन स्थिति होने पर भी परिवार पूरी तरह तैयार हो।

प्रसव की तैयारी

- प्रसव के लिए अस्पताल की पहचान करें और प्रसव की सम्भावित तिथि से पहले अस्पताल जाकर सम्पर्क कर लें।
- ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों की पहचान करें जो रक्तदान कर सकते हैं और प्रसव के दौरान जरूरत पड़ने पर उनसे आसानी से संपर्क बनाए जा सकते हैं।
- एक झोला या बैग में महिला एवं शिशु के उपयोग करने के लिए साफ कपड़े, आवश्यक वस्तुओं और मुख्य संपर्क नंबरों को तैयार रखें।
- एम्बुलेंस एवं अन्य गाड़ी वाले के फोन नंबर तैयार रखें।
- ए.एन.एम./आशा का मोबाईल नंबर तैयार रखें।
- खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करके रखें।
- प्रसव की अपेक्षित तिथि से पहले अस्पताल में अपने डॉक्टर से जांच अवश्य करा लें।
- गर्भवती महिला को किसी कारण या आपात स्थिति में घर पर ही प्रसव करवाना पड़े तो उससे निपटने के लिए निम्न तैयारियां करके रखना चाहिए:
    - प्रशिक्षित नर्स का संपर्क नंबर
    - घर पर प्रसव के लिए साफ जगह
    - साफ, सूती और सूखा कपड़ा
    - एक नया ब्लेड
    - एक नया धागा
    - एक नया साबुन

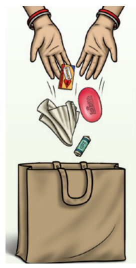

तीन देरियाँ

किसी महिला को एक बार जब कोई जटिलता उत्पन्न हो जाती है, तो उसका जीवन बचाने के लिए तुरन्त पर्याप्त देखभाल करनी होती है। खतरे/मृत्यु की ओर ले जाने वाली तीन देरी को निम्न तरह से विभाजित किया गया है:

पहली देरी: देखभाल करने का निर्णय लेने में देरी

दूसरी देरी: स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचने में देरी, और

तीसरी देरी: स्वास्थ्य सुविधा में उपचार प्राप्त करने में देरी

***अनावश्यक देरी से बचने के लिए पर्याप्त रूप से जन्म की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है।**

चरण 8:

उन प्रतिभागियों से जो हाल ही में मां बनी हैं या अपने परिवार में अभिभावक व अनुभवी हैं, उन्हें प्रसवोत्तर अवधि के दौरान देखभाल पर समझ साझा करने के लिए कहें और उनकी चर्चा को केंद्र बिंदु मानते हुए चर्चा के प्रमुख बिदुओं को हाईलाइट करें।

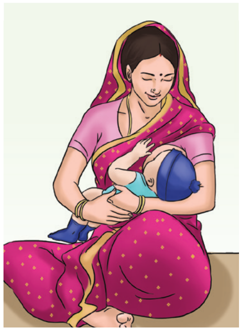

प्रसव पश्चात् देखभाल

- जन्म के एक घंटे के भीतर बच्चे को स्तनपान कराना ना भूलें।
- अस्पताल से प्रसव के कम से कम 48 घंटे बाद महिला को छुट्टी मिलनी चाहिए।
- छुट्टी मिलने से पहले मां और बच्चे दोनों की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए।
- मां को अपने पोषण का विशेष ध्यान रखना चाहिए और प्रसव के बाद पहले से थोड़ा अधिक मात्रा में भोजन करना चाहिए।
- नियमित रूप से आयरन/आइएफए और कैल्शियम की गोली लेनी चाहिए।
- माँ को 42 दिनों तक पर्याप्त आराम करना चाहिए, भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए और अच्छी तरह से खाना चाहिए। याद रखें कि प्रसवोत्तर महिला के लिए किसी भी प्रकार का भोजन वर्जित नहीं है।
- नवजात/शिशु/बच्चे को छह माह तक मां के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए यहाँ तक कि एक बूंद पानी भी नहीं।
- नवजात शिशु को छूने से पहले हमेशा साबुन से हाथ धोना चाहिए।
- दम्पति को एक उपयुक्त परिवार नियोजन पद्धति पर चर्चा करनी चाहिए और उसे अपनाना चाहिए।
- कोई समस्या होने पर अपने ए.एन.एम. या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करना चाहिए।

इस अवधि के दौरान पति और परिवार की भूमिका पर प्रकाश डालें और यह कि उपरोक्त सभी बिंदु बच्चे के जन्म के बाद सुनिश्चित किए जाने चाहिए। अस्पताल में जो भी महिला के साथ है वह यह भी सुनिश्चित करें कि डिस्चार्ज होने से पहले नई मां और नवजात का उचित चेकअप हो।

प्रसव के बाद के पहले 48 घंटे पूरे प्रसवोत्तर अवधि में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रसवोत्तर अवधि की अधिकांश महत्वपूर्ण जटिलताएँ जो मातृ मृत्यु का कारण बन सकती हैं, वो 48 घंटों के दौरान होती हैं। इसलिए, हर महिला, जिसका अभी अभी प्रसव हुआ है, उसे पहले 48 घंटों के दौरान बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता होती है।

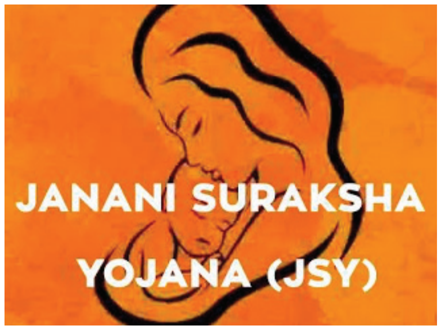

मां और बच्चे के लिए "जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.)", जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.) के तहत विभिन्न प्रसवोत्तर योजनाएँ उपलब्ध हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है। महिलाओं को इन योजनाओं से जोड़ना सुनिश्चित करें।

स्वयं सहायता समूह की भूमिका

- समूह के सदस्य यह सुनिश्चित करें कि उनके परिवार की सभी गर्भवती महिलाएं आंगनबाडी केंद्र में पंजीकृत हैं और उनकी सभी प्रसव पूर्व जांच की जा रही है।
- सुनिश्चित करें कि पति एम.सी.पी. कार्ड की जानकारी से अवगत हैं और वे सुरक्षित प्रसव के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करते हैं।
- समूह के सभी सदस्य सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार को प्रसव के लिए तैयारी करने में मदद करें:
    - अस्पताल की पहचान करने में उन्हें सूचित करना और उनकी मदद करना, जरूरत पड़ने पर रक्तदान करने वाले व्यक्ति की पहचान करना और बात करना, आशा का नंबर, एम्बुलेंस नंबर रखना और प्रसव के खर्च के लिए पैसे बचाना।
    - प्रशिक्षित नर्स का नंबर और साफ कपड़ा, नया ब्लेड, नया धागा और नया साबुन एक बैग में तैयार रखें।

नोट: स्वयं सहायता समूह को उन सदस्यों का सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो समस्याओं का सामना करते हैं या इन संदेशों को व्यक्त करने और अपने परिवारों को समझाने में मुश्किल पाते हैं।

सत्र का समापन: केस स्टडी के प्रश्नों और उनके उत्तरों पर फिर से विचार करके सत्र समाप्त करें। प्रतिभागियों को धन्यवाद दें और सत्र समाप्त करें।

खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता (FNHW) टूलकिट को राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (NMMU) द्वारा तकनीकी सहायता एजेंसी, TA-NRLM, प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल (PCI) के सहयोग से विकसित किया गया है तथा रोशनी-सेंटर ऑफ वूमेन कलेक्टिव्स लेड सोशल एक्शन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (NIRD), राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (SIRDs), नेशनल रिसोर्स पर्सन्स (NRPs), बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (SRLMs), जीविका तकनीकी सहायता कार्यक्रम-प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल (JTSP-PCI) और ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों की यूनिसेफ टीमों से सुझाव प्राप्त किये गए हैं।

सामग्री को अंतिम रूप देने हेतु, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD), नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च ऑन डाइट्स (NCEARD), अलाइव एंड थ्राइव (A&T), JTSP-PCI और UNICEF की मानक सामग्री को संदर्भित किया गया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन (डी ऐ वाई - एनआरएलएम)
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

7 वीं मंज़िल, एनडीसीसी बिल्डिंग-II, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001

वेबसाइट: www.aajeevika.gov.in

सत्यमेव जयते
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

आजीविका AAJEEVIKA